महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-08/2018/361/अट्ठासी-18-147विविध/17

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2018

विषय:-होली पर्व के अवसर पर आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि त्यौहारों के अवसर पर खाद्य व्यवसाय के क्षेत्र में मिलावटखोरी एवं अधोमानक खाद्य सामग्री का विक्रय किये जाने का प्रयास विशेषकर दीपावली एवं होली जैसे बड़े पर्वों के अवसर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। इससे जहाँ एक ओर लोक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहीं कई स्थानों पर कानून व्यवस्था की भी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अत: आवश्यक है कि समय रहते इन गतिविधियों पर प्रशासन के स्तर से अंकुश लगाया जाय। इसमें जहाँ एक ओर विभागीय अधिकारियों के माध्यम से सघन प्रवर्तन की कार्यवाही करायी जा सकती है वहीं दूसरी ओर स्थानीय अभिसूचना अभिकर्ताओं (LIU) से सूचना एकत्रित कराकर मिलावटखोरों एवं अधोमानक खाद्य सामग्री विक्रेताओं के विरूद्ध पुलिस प्रशासन के सहयोग से प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए जिला एवं मण्डल स्तर पर विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य समन्वय एवं सूचना का आदान प्रदान किये जाने के साथ पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य मण्डल एवं जनपद स्तर पर समन्वय बैठकों का आयोजन भी आवश्यक है।

कृपया प्रदेश में आगामी होली पर्व के अवसर पर उपरोक्तानुसार योजना बनाकर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु विशेषकर दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, वनस्पति व मिठाईयों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से अपने मण्डल/जनपद के परिधिगत अभिहित अधिकारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल का गठन करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-08/2018/361(1)/अट्ठासी-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ।

(2) समस्त सहायक आयुक्त (खाद्य), उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त अभिहित अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मु0 जुबैर अली हाशमी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।